HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal No. 1955/2021

Ramlakhan S/o Shri Ramdev

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Azad Ahmed
For Respondent(s) : Mr. M K Sheoran, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS (V. J.)

Order

08/06/2022

यह अपील प्रार्थना पत्र संख्या 01/2022 पर अदेशार्थ प्रस्तुत हुई है ।

विधि से संघर्षरत किशोर (जिसे आगे किशोर कहा जाएगा) को धारा 377 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 5(एम)/ पोक्सो एक्ट के अपराध में अधिकतम 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में यह आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि किशोर के बी.ए. पार्ट–थर्ड की परीक्षा दिनांक 09.06.2022 से 01.07.2022 तक है अतः ऐसी स्थिति में किशोर के भविष्य को देखते हुए किशोर को अभिरक्षा में रहते हुए उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जावे । विकल्प में उनका यह भी निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त परीक्षा में

सम्मिलित होने हेतु उक्त अवधि के लिए अन्तरिम जमानत प्रदान कर दी जावे ।

विद्वान लोक अभियोजक ने विरोध किया ।

दोनों पक्षों के तर्को के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

हस्तगत मामले में किशोर के भविष्य व अन्य परिस्थितियों को देखते हुए यह न्यायालय धारा 482 दण्ड प्रकिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की वैकल्पिक प्रार्थना स्वीकार कर, किशोर को दिनांक 09.06.2022 से दिनांक 02.07.2022 तक अन्तरिम रूप से जमानत पर रिहा किया जाना उचित पाती है ।

अतः याची बालक किशोर **रामलखन** की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि किशोर की ओर से उसके संरक्षक विचारण न्यायालय के संतोषप्रद **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व **पचास–पचास हजार** रूपये की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इन शर्तों के साथ प्रस्तुत करें कि वह याची बालक किशोर अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान शांति व सदव्यवहार बनाये रखेगा एवं अपराध की पुनरावर्ती नहीं करेगा एवं अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर दिनांक **02.07.2022** को **प्रातः 10 बजे** तक सक्षम अधिकारी के समक्ष आत्म समर्पण करेगा तो याची बालक किशोर को दिनांक **02.07.2022** तक अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

याची बालक किशोर के द्वारा पुनः दिनांक **02.07.2022** को संबंधित सक्षम अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करने या नहीं करने

की सूचना संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा इस न्यायालय को भेजी जावे।

आदेश की प्रति संबंधित सक्षम अधिकारी को जरिए ई–मेल/फेक्स अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Rishikesh /189

RAJASTHAN HIGH COURT

सत्यमेव जयते